HARYANA GOVERNMENT
COOPERATION DEPARTMENT
INDEX

Sr.No.	Date of Notification	Brief contents of notification	Page No.
1.	27th March, 1997	Haryana State Cooperative (Group B) Service Rules, 1997 (English version)	2-15
2.	27th March, 1997	Haryana State Cooperative (Group B) Service Rules, 1997 (Hindi version)	16-32
3.	29th August, 2014	Haryana State Cooperative (Group B) Service (Amendment) Rules, 2014 (English version)	33-34
4.	29th August, 2014	Haryana State Cooperative (Group B) Service (Amendment) Rules, 2014 (Hindi version)	35-36

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

COOPERATION DEPARTMENT

Notification

The 27th March, 1997

No. G. S. R. 23/Const./Art. 309/97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Cooperative (Group B), Service namely :—

PART I—GENERAL

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana State Cooperative (Group B) Service Rules, 1997.

(2) They shall come into force at once.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Administrative Secretary" means the Secretary to Government Haryana, Cooperation Department ;

(b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(c) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(e) "institution" means,—

(i) any institution, established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;

(f) "recognised University" means,—

(i) any University incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other University which is declared by the Government to be a recognised University for the purpose of these rules;

(g) "recruting authority" means the Haryana Public Service Commission ;

(h) "Registrar" means the Registrar, Cooperative Societies, Haryana ;

(i) "Service" means the Haryana State Cooperative (Group B) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts.

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service unless he is,—

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person, in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character, from the Principal Academic Officer of the University, College, School or Instituton last attanded, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than twenty-one years or more than thirty-five years of age, on or before the last date of submission of application to the Commission:

Provided that in the case of Tanning and Leather Expert, no person shall be appointed to the Service by direct recruitment who is less than twenty-seven years or more than forty-years of age, on or before the last date of submission of application to the Commission.

Appointing Authority.

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person appointed other than by direct recruitment :

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discration of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Schedule Tribes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage in permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

(a) in the case of Assistant Registrar,—

(i) $66\frac{2}{3}\%$ by promotion from amongst Inspectors

and Statistical Assistants :

Provided that promotion shall be made in the ratio of 8 : 1 respectively i.e. in every slab of nine vacancies to be filled in by promotion, the vacancy at number 9 will go to the Statistical Assistant :

Provided further that if a Statistical Assistant gets promotion as Statistical Officer before the occurrence of 9th vacancy, this vacancy will also be filled in by promotion from the post of Inspector ; and

(ii) 33⅓% by direct appointment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Gìovernment of India ;

(b) in the case of Audit Officer,—

(i) 66⅔% by promotion from amongst Senior Auditor of Cooperative Societies ; and

(ii) 33⅓% by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(c) in case of Statistical Officer ,—

(i) 66⅔% by promotion from the post of Statistical Assistant ; and

(ii) 33⅓ % by direct appointment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or the Government of India ;

(d) in the case of Tanning and Leather Expert,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(e) in the case of Establishment Officer,—

(i) by promotion from amongst the Superintendents in the office of Registrar ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

Note : The post of Establishment Officer involves the assumption of duties and responsibilities of greater importance than those of Superintendent ;

(f) in case of Superintendent,—

(i) by promotion from amongst the Deputy Superintendent or personal Assistant of the office of Registrar and Deputy

Superintendent of the office of Deputy Registrar, Cooperative Societies ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Training, departmental examination and drawal of increments.

10 (1) An officer appointed to the Service by direct recruitment shall pass a Higher Diploma in Cooperative Management as may be prescribed by the National Council for Cooperative Training of National Cooperative Union of India and shall undergo the practical training prescribed by the department from time to time but the total training period and diploma period shall not exceed 2 years :

Provided that if an officer has already passed Higher Diploma in Cooperative Management, such officer shall be exempted from passing such diploma but he will have to undergo the practical training prescribed by the department.

(2) An officer appointed to the Service by promotion or by transfer shall pass a Higher Diploma in Cooperative Management from National Cooperative Union of India, but in case an officer has already passed such diploma he will not be required to do so again.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) above, every member of the Service shall pass the higher standard departmental examination in accounts from time to time prescribed by Government for the members of the Service within two years from the date of his appointment to the Service otherwise he will not been entitled to draw annual increment.

(4) If a person appointed to be Service passes the departmental examination before the expiry of two years, he shall be entitled to all the increments which would have otherwise fallen due to him at the end of the prescribed period of two years with effect from the last day on which the departmental examination were completed. The benefit is not of a cumulative nature and the later increments will be due to him only on the dates on which they would have otherwise become due.

(5) No increment of the member appointed to the Service shall be withheld until the period prescribed for clearing the departmental examination is over.

(6) If a member of the Service passes the departmental examination after the prescribed period, then the increment for the period subsequent to that within which the departmental examination was to be passed, shall be released to him from the date following the last day on which the departmental examination is completed and the increment shall be released with retrospective effect from the date it was otherwise due but no arrears shall be paid for the past period.

(7) If a member of the Service fails to pass the departmental examinations or any part thereof his increment for the period subsequent to that within which the departmental examination was to be passed, shall be realeased from the date he is given such exemption. The increment shall be released with retrospective effect from the date it was due but no arrears shall be paid for the past period.

11. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, including the period of training if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise : Probation.

Provided that —

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to the appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfers, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rules ; and

(c) any period of a officiating appointment shall be reckoned as a period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may;—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may, —

(a) If his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

-53-

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

12. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre ;

Provided further that in the case of a members appointed by direct recruitment the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by their length of Service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

13. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under —

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or University within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international Organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being inforce made by the State Legislature.

Discipline, penalties, and appeals.

15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed the authority empowered to impose such penalties and appellate authorities shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

16. Every member of the Service, shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

17. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

Special provisions. 19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations. 20. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings. 21. The Punjab State Cooperative Service, Class II Rules, 1958 in their application to the State of Haryana are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

-56-

APPENDIX A

(*See* rule 3)

Sr. No	Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Registrar	25	9	34	Rs. 2000—60—2300—75—2900—EB—100—3500
2	Audit Officer	1	9	10	Rs. 2000—60—2300—75—2900—EB—100—3500
3	Statistical Officer	1	1	2	Rs. 2000—60—2300—75—2900—EB—100—3500
4	Training Leather Expert	1	—	1	Rs. 2000—60—2300—75—2900—EB—100—3500
5	Establishment Officer	1	—	1	Rs. 2000—60—2300—75—2900—EB—100—3500
6	Superintendent	1	—	1	Rs. 2000—60—2300—75—2900—EB—100—3500

-57-

APPENDIX—B

(See rule 7)

Serial No.	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Assistant Registrar	(a) Bachelors degree of a recognised university ; (b) Knowledge of Hindi upto Matric standard	(a) Bachelors degree of a recognised university ; (b) having atleast seven years experience as Inspector/Statistical Assistant including training period.
2	Audit Officer	(a) Master of commerce with 2nd division or above. Persons holding Higher Diploma in Cooperation will be given preference ; (b) Knowledge of Hindi upto Matric standard	(a) Bachelors degree of a recognised university ; (b) having atleast eight years experience as Senior Auditor, Cooperrative Societies ; or (c) having atleast eight years experience as Senior Auditor working under Government of India or State Government ;
3	Statistical Officer	(a) M. A. in Economics or Statistics ; (b) B. A. in 2nd division additional qualification	having atleast eight years experience as Statistical Assistant in the Cooperation Department
4	Tanning and Leather Expert	(1) Bachelors degree in Science ; (2) Diploma in Tanning Footwear (Preference will be given to those having certificate in Playing and carcess recovery) ; (3) Five Years experience in Flying and carcess recovery ; (4) Knowledge of Hindi upto Matric Standard	(1) Bachelors degree in Science ; (2) Diploma in Tanning Footwear (Preference will be given to those having certificate in Flaying and carcess recovery) ; (3) Five years experience as Flying and carcess recovery ; (4) Knowledge of Hindi upto Matric Standard

1	2	3	4
5	Establishment Officer	—	(1) Atleast two years experience as Superintendent in the office of the of the Registrar ; (2) Knowledge of Hindi upto Matric Standard
6	Superintendent	—	(1) Atleast three years experience as Deputy Superintendent of the office of Registrar, Cooperative Societies, Haryana or Deputy Superintendent of the office of Deputy Registrar, Cooperative Societies or Personal Assistant of the office of the Registrar, Cooperative Societies : Provided that the personal Assistant will be eligible for promotion to the post of Superintendent only if he, while he was senior scale Stenographer, as worked as Assistant for a period two years on some existing vacancy or by sharing atleast 1/3rd of the work of some Assistant in addition to his own duties. (2) Knowledge of Hindi upto Matric Standard ; Or . Atleast 3 years experience. as Deputy Superintendent/ Personal Assistant working under Government of India or State Government

APPENDIX C

[*See* rule 15 (1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
			MINOR PENALTIES:			
1	Assistant Registrar	Government	(i) Warning with a copy on the personal file (character roll);	Registrar	Administrative Secretary	
2	Audit Officer					
3	Statistical Officer		(ii) Censure;			
			(iii) withholding of promotions;			
4	Tanning Leather Expert		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State;			
5	Establishment Officer					
6	Superintendent					
			(v) withholding of increments of pay without cumulative effect;			
			MAJOR PENALTIES:	Government		
			(va) withholding of increments of pay with cumulative effect;			

1	2	3	4	5	6
			(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further dirctions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments or his pay ;		
			(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade of post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;		
			(viii) compulsory retirement ;		
			(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;		
			(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.		

APPENDIX D

[*See* rule 15(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Assistant Registrar	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Government	
2	Audit Officer			
3	Statistical Officer			
4	Tanning nnd Leather Expert	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		
5	Establishment Officer			
6	Superintendent			

RAJNI RAZDAN,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Cooperation Department.

हरियाणा सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 मार्च, 1997

संख्या सा० का० नि० 23/संवि०/अनु० 309/97.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा राज्य सहकारिता (ग्रुप-ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-I—सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य सहकारिता (ग्रुप-ख) सेवा नियम, 1997, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये तुरन्त लागू होंगे।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "प्रशासकीय सचिव" से अभिप्राय है, सचिव, हरियाणा सरकार सहकारिता विभाग;

(ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो, सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में, हरियाणा सरकार ;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिपलोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(छ) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा ;

(झ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य सहकारिता (ग्रुप-ख) सेवा ।

भाग-II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र .

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से संबंधित व्यक्ति किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या

संस्था के, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों, और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को या उससे पहले इक्कीस वर्ष की आयु से कम या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो : आयु ।

परन्तु चर्म शोधक तथा चर्म विशेषज्ञ की दशा में, कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को या इससे पहले सत्ताईस वर्ष से कम या चालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी । नियुक्ति प्राधिकारी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो : योग्यताएं ।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग अथवा किसी अन्य नियुक्ति प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो । ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे ।

8. कोई भी व्यक्ति,— अयोग्यताएं ।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि, सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग । 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी:—

(क) सहायक रजिस्ट्रार की दशा में,—

(i) $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत निरीक्षकों अथवा संख्यकीय सहायकों में से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु पदोन्नति क्रमशः 8:1 के अनुपात से की जाएगी, अर्थात् पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली 9वीं रिक्तियों के प्रत्येक स्लैब में क्रम संख्या नौ पर रिक्ति आंकड़ा सहायक को जायेगी :

परन्तु यह और कि यदि आंकड़ा सहायक नौवीं रिक्ति के होने से पहले आंकड़ा अधिकारी के रूप में पदोन्नत हो जाता है तो यह रिक्ति भी निरीक्षक के पद से पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी ; तथा

(ii) $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) लेखा परीक्षा अधिकारी की दशा में,—

(i) $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत वरिष्ठ लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों में से पदोन्नति द्वारा; और

(ii) $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) आंकड़ा अधिकारी की दशा में,—

(i) $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत आंकड़ा सहायक के पद से पदोन्नति द्वारा; और

(ii) $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) चर्म शोधक तथा चर्म विशेषज्ञ की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) स्थापना अधिकारी की दशा में,—

(i) रजिस्ट्रार के कार्यालय के अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

टिप्पणी : स्थापना अधिकारी का पद अधीक्षक के पद के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों से अधिक महत्व का है।

(च) अधीक्षक की दशा में,—

(i) रजिस्ट्रार के कार्यालय से उप अधीक्षकों अथवा निजी सहायक तथा उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के उप अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. (1) सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, भारत संघ, राष्ट्रीय सहकारिता के सहकारिता प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय परिषद् द्वारा यथाविहित सहकारी प्रबन्ध में उच्चतर डिप्लोमा पास करेगा और समय-समय पर विभाग द्वारा विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा किन्तु कुल प्रशिक्षण अवधि तथा डिप्लोमा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी : प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा तथा वेतन वृद्धियां लेना।

परन्तु यदि किसी अधिकारी ने पहले ही सहकारिता प्रबन्ध में उच्चतर डिप्लोमा पास कर लिया हो, तो ऐसे अधिकारी को ऐसा डिप्लोमा पास करने से छूट दे दी जायेगी किन्तु उसे विभाग द्वारा विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(2) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा सेवा में नियुक्त कोई अधिकारी भारत संघ की राष्ट्रीय सहकारिता से सहकारिता प्रबन्ध में उच्चतर डिप्लोमा पास करेगा किन्तु यदि किसी अधिकारी द्वारा पहले ही डिप्लोमा पास कर लिया है, तो उससे दोबारा ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(3) उपरोक्त उप-नियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुये भी सेवा का प्रत्येक सदस्य सेवा के सदस्यों के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर विहित सेवा में अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर लेखे में उच्चतर स्तर में विभागीय परीक्षा पास करेगा अन्यथा वह वार्षिक वेतन वृद्धि लेने का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि, सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व विभागीय परीक्षा पास कर लेता है, तो वह सभी वेतन वृद्धियां लेने का हकदार होगा जो उसे विभागीय परीक्षा पूरी होने पर अन्तिम दिन से दो वर्ष की विहित अवधि की समाप्ति पर, उसे अन्यथा देय होती लाभ संचयी प्रकृति का नहीं है और बाद वाली वेतन वृद्धियां उसे केवल उस तिथि को देय होंगी जिसको वे अन्यथा देय होनी थीं।

(5) सेवा में नियुक्त सदस्य की वार्षिक वेतन वृद्धि तब तक नहीं रोकी जायेगी जब तक कि विभागीय परीक्षा पास करने की विहित अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

(6) यदि सेवा का कोई सदस्य विहित अवधि के बाद विभागीय परीक्षा पास करता है, तब उससे पश्चात्वर्ती अवधि के लिये वेतन वृद्धि जिसके भीतर विभागीय परीक्षा पास की जानी थी, अन्तिम दिन जिसको विभागीय परीक्षा पूरी की जाती है— से अगली तिथि से दे दी जायेगी और वेतन वृद्धि उस तिथि से जिसको वह अन्यथा देय थी भूतलक्षी प्रभाव से दे दी जाएगी, किन्तु पिछली अवधि के लिये किसी बकाया का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

(7) यदि सेवा का कोई सदस्य विभागीय परीक्षा अथवा उसके किसी भाग को पास करने में असफल रहता है तो उससे पश्चातवर्ती अवधि के लिये जिसमें उसे विभागीय परीक्षा पास करनी थी, उसकी वेतन वृद्धि उस तिथि से दी जायेगी जिससे उसे ऐसी छूट दी गई है। वेतन वृद्धि उस तिथि से जिसको यह देय थी भूतलक्षी प्रभाव से दी जायेगी, किन्तु पिछली अवधि के लिए किसी बकाया का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

परिवीक्षा। 11. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कियागया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये जिसमें उसकी ट्रेनिंग की अवधि भी शामिल है और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा:

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जायेगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में

कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो वह :—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि, ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया हो तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो, —

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता ।

12. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठा प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित ढंग से निश्चित की जाएगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसे सदस्यों की ऐसी नियुक्तियों में ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवा-काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

13. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण

सरकार के पास है हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी, संगम या, व्यष्टि-निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसक, नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या किसी निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले ।

14. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं ।

अनुशासन, शास्तिया तथा अपीलें ।

15. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट (ग) में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) था खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में बताया गया हो ।

टीका लगवाना ।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करें, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की शपथ

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की शक्ति ।

18. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध ।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण ।

20. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृति ।

21. पंजाब राज्य सहकारिता सेवा श्रेणी-II नियम, 1958, इसके द्वारा, हरियाणा राज्यार्थ निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

-40-

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या स्थाई	अस्थाई	जोड़	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	सहायक रजिस्ट्रार	25	9	34	2000—60—2300—75—2900—दक्षतारोध—100—3500 रुपये
2	लेखा परीक्षा अधिकारी	1	9	10	2000—60—2300—75—2900—दक्षतारोध—100—3500 रुपये
3	आंकड़ा अधिकारी	1	1	2	2000—60—2300—75—2900—दक्षतारोध—100—3500 रुपये
4	चर्म विशेषज्ञ	1	—	1	2000—60—2300—75—2900—दक्षतारोध—100—3500 रुपये
5	स्थापना अधिकारी	1	—	1	2000—60—2300—75—2900—दक्षतारोध—100—3500 रुपये
6	अधीक्षक	1	—	1	2000—60—2300—75—2900—दक्षतारोध—100—3500 रुपये

परिशिष्ट–ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	सहायक रजिस्ट्रार	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक डिग्री; (ख) मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान।	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक डिग्री; (ख) प्रशिक्षण अवधि सहित निरीक्षक/आंकड़ा सहायक के रूप में 7 वर्ष का अनुभव
2	लेखा परीक्षा अधिकारी	(क) द्वितीय श्रेणी के साथ वाणिज्य में मास्टर अथवा सहकारिता में उच्चतर डिप्लोमा व.लें को अधिमान दिया जाएगा ; (ख) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक डिग्री; (ख) वरिष्ठ लेखा परीक्षक, सहकारी सोसाईटयों के रूप में कम से कम आठ वर्ष कम अनुभव; या भारत सरकार या राज्य सरकार में वरिष्ठ लेखा परीक्षक सहकारी समितियां के रूप में आठ वर्ष का अनुभव;
3	आंकड़ा अधिकारी	(क) अर्थ शास्त्र या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री ; (ख) द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री अतिरिक्त योग्यता।	(क) सहकारिता विभाग में सांख्यिकीय सहायक के रूप में कम से कम आठ वर्ष अनुभव
4	चर्म शोधक तथा चर्म विशेषज्ञ	(1) विज्ञान में स्नातक डिग्री ; (2) कच्चे चमड़े को कमाने/चमड़े के जूते बनाने में डिप्लोमा (खालें उतारने का सर्टीफिकेट रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी) ;	(1) विज्ञान में स्नातक डिग्री ; (2) कच्चे चमड़े को कमाने/चमड़े के जूते बनाने में डिप्लोमा (खालें उतारने का सर्टीफिकेट रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी) ;

1	2	3	4
		(3) पशु शव की खाल उतारने में पांच वर्ष का का अनुभव हो ; (4) मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान।	(3) पशु शव की खाल उतारने का पांच वर्ष का अनुभव हो ; (4) मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान।
5	स्थापना अधिकारी	—	(1) रजिस्ट्रार के कार्यालय में अधीक्षक के पद पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव ; (2) मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान;
6	अधीक्षक	—	(1) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा के कार्यालय का उपाधीक्षक या उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के कार्यालय का उपाधीक्षक या रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के कार्यालय के निजि सहायक के पद पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो : परन्तु निजी सहायक अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए केवल तभी योग्य होगा यदि जबकि उसने बतौर वरिष्ठ वेतनमान आशु लिपिक के पद पर रहते हुए किसी विद्यमान रिति पर बतौर सहायक के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिये कार्य किया हो या उसने अपने कार्य के अतिरिक्त किसी सहायक के पद के हिस्से का एक तिहाई कार्य बांट कर किया हो। (2) मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान ; या भारत सरकार या किसी अन्य राज्य के अधीन उप अधीक्षक/ निजी वहायक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।

-43-

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 15(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक रजिस्ट्रार	सरकार	1. छोटी शास्तियां—	रजिस्ट्रार	प्रशासनिक सचिव	—
2	लेखा परीक्षा अधिकारी		(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;			
3	आंकड़ा अधिकारी		(ii) परिनिन्दा ;			
4	चर्म शोधक तथा चर्म विशेषज्ञ		(iii) पदोन्नति रोकना ;			
5	स्थापना अधिकारी		(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय			
6	अधीक्षक					

1	2	3	4	5	6	7
			प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ;			
			(v) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ।			
			2. बड़ी शास्तियां—	सरकार		
			(vi) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;			
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;			
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी ऐसा जिस ग्रेड, पद			

1	2	3	4	5	6
			अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा;		
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;		
			(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;		
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यता निरर्हता होगी ।		

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 15 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1	सहायक रजिस्ट्रार	(i) पैंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	सरकार	—	
2	लेखा परीक्षा अधिकारी				
3	आंकड़ा अधिकारी				
4	चर्म विशषज्ञ	(ii) सेवा के सदस्य को उसके अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।			
5	स्थापना अधिकारी				
6	अधीक्षक				

रजनी राजदान,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

सहकारिता विभाग ।

सहकारिता विभाग

617
2-12

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.) AUG. 29, 2014
(BHDR. 7, 1936 SAKA)

हरियाणा सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अगस्त, 2014

संख्या सा०का०नि० 37/संवि०/अनु० 309/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य सहकारिता (ग्रुप–ख) सेवा नियम, 1997 को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा राज्य सहकारिता (ग्रुप–ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2014 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य सहकारिता (ग्रुप–ख) सेवा नियम, 1997 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में "पैन्तीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम–7 के परन्तुक में, "शारीरिक रूप से विकलांग" शब्दों के स्थान पर "फिजीकली चैलेंजड" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम–9 में, उप–नियमों (1) में,—

(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) सहायक रजिस्ट्रार की दशा में,—

(i) 66⅔ प्रतिशत निरीक्षकों, आंकड़ा सहायकों अथवा प्रवक्ताओं में से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु पदोन्नति क्रमश 8:1:0.2 के अनुपात में की जाएगी, अर्थात् पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाली 9वीं, 18वीं, 27वीं 36वीं तथा 46वीं रिक्तियां आंकड़ा सहायकों में से तथा 45वीं रिक्ति प्रवक्ताओं में से भरी जाएंगी :

परन्तु यह और कि यदि आंकड़ा सहायक 9वीं, 18वीं, 27वीं, 36वीं तथा 46वीं, रिक्तियां होने से पहले आंकड़ा अधिकारी के रूप में पदोन्नत हो जाता है, तो ये रिक्तियां भी निरीक्षक के पद से पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी; तथा

(ii) 33⅓ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;" तथा

(ii) खण्ड (घ) का लोप कर दिया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 20 में "शारीरिक रूप से विकलांग" शब्दों के स्थान पर "फिजीकली चैलेंजड" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

-63-

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड	
1	2	3	4	5	6
1	सहायक रजिस्ट्रार	24	9	33	वेतन बैंड–2 = 9300-34800+4600 ग्रेड वेतन
2	लेखा परीक्षा अधिकारी	12	—	12	वेतन बैंड–2 = 9300-34800+4200 ग्रेड वेतन
3	आंकड़ा अधिकारी	1	1	2	वेतन बैंड–2 = 9300-34800+4200 ग्रेड वेतन
4	स्थापना अधिकारी	1	—	1	वेतन बैंड–2 = 9300-34800+4200 ग्रेड वेतन
5	अधीक्षक	3	—	3	वेतन बैंड–2 = 9300-34800+4200 ग्रेड वेतन।"।

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, –

(i) खाना 4 के नीचे, क्रम संख्या 1 के सामने, मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(ख) प्रशिक्षण अवधि सहित निरीक्षक / आंकड़ा सहायक / प्रवक्ता के रूप में सात वर्ष का अनुभव ;"; तथा

(ii) खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

8. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग तथा घ में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा।

आलोक निगम,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
सहकारिता विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

CO-OPERATION DEPARTMENT

Notification

The 29th August, 2014

No. G.S.R. 37/Const./ Art. 309/2014.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana State Co-operative (Group B) Service Rules, 1997, namely :—

1. These Rules may be called The Haryana State Co-operative (Group B) Service (Amendment) Rules, 2014.

2. In the Haryana State Co-operative (Group-B) Service Rules, 1997 (hereinafter called the said Rules), in rule 5, for the words and sign "thirty five" the word "forty" shall be substituted.

3. In the said rules, in the proviso to rule 7, for the words "Physically Handicapped", the words "physically challenged," shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 9,- (i) in sub-rule (1), for clause (a), the follwing clause shall be substituted, namely : —

"(a) in the case of Assistant Registrar,

(i) 66⅔% by promotion from amongst Inspectors, Statistical Assistants or Lecturers :

Provided that promotion shall be made in the ratio of 8:1:0.2 respectively, i.e. vacancies 9th, 18th, 27th, 36th and 46th to be filled up by promotion shall be filled up from Statistical Assistants and 45th vacancy shall be filled up from its Lecturers :

Provided further that if a Statistical Assistant gets promotion as Statistical Officer before the occurrence of 9th, 18th, 27th, 36th and 46th vacancies, these vacancies shall also be filled up by promotion from the post of Inspectors ; and

(ii) 33⅓ % by direct recruitment ; or

(iii) by transfter or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;"; and

(ii) Clause (d) shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 20, for the words "Phycally Handicapped"the words "physically challenged" shall be substitued.

6. In the said rules, for Appendix A, the following Appendix shall be substituted, namely :—

"Appendix A

(See Rule 3)

Sr. No.	Designation of Post	Number of Posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Registrar	24	9	33	Pay Band-2 = 9300-34800+4600 Grade Pay
2	Audit Officer	12	-	12	Pay Band-2 = 9300-34800+4200 Grade Pay
3	Statistical Officer	1	1	2	Pay Band-2 = 9300-34800+4200 Grade Pay
4	Establishment Officer	1	-	1	Pay Band-2 = 9300-34800+4200 Grade Pay
5	Superintendent	3	-	3	Pay Band-2 = 9300-34800+4200 Grade Pay."

7. In the said rules, in Appendix B,

(i) Under Column 4, against serial number 1, for items (b), the following item shall be substituted, namely :-

"having at least seven years experience as Inspector/Statistical Assistant/Lecturer including training period,"; and

(ii) under columns 1, 2, 3 and 4 serial number 4 and entries there against shall be omitted.

8. In the said rules in Appendix C and D, under columns 1 and 2, serial number 4 and entries there against shall be omitted.

ALOK NIGAM,
Principal Secretary to Government Haryana.
Co-operation Department.